न्यायालय समाहर्त्ता एवं जिला दण्डाधिकारी, पटना।

एल0सी0 अपील वाद सं0–03/2013–14

शत्रुधन प्रसाद बनाम सावित्री देवी

आदेश की क्रम संख्या एवं तारीख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कार्रवाई के बारे में टिप्पणी तारीख सहित
1	2	3

आदेश

प्रस्तुत वाद शत्रुधन प्रसाद, पिता मथुरा प्रसाद, ग्राम–बरनी टोला, मुसादचक, थाना–धनरुआ, जिला–पटना ने भूमि सुधार उप समाहर्त्ता, मसौढ़ी के न्यायालय का एल0सी0 वाद सं0 16/2010–11 सावित्री देवी बनाम शत्रुधन प्रसाद वगैरह में दिनांक 25.04.2013 को पारित आदेश के विरूद्ध भू–हदबंदी अधिनियम की धारा–30 के अंतर्गत दिनांक 13.06.2013 को अपील आवेदन के साथ दाखिल किया।

दिनांक 20.06.2013 को वाद प्रतिग्रहण पर अपीलार्थी के विद्वान अधिवक्ता को सुनकर, प्रतिगृहित किया गया और निम्न न्यायालय से अभिलेख मांग करते हुए विपक्षी को नोटिस निर्गत किया गया। दिनांक 03.04.2014 को निम्न न्यायालय का अभिलेख प्राप्त हुआ। दिनांक 27.05.2015 को विपक्षी की ओर से प्रत्युतर दाखिल किया गया।

दिनांक 01.03.2018 को उभय पक्षों के विद्वान अधिवक्तागण को सुना।

अपीलार्थी की ओर से उनके विद्वान अधिवक्ता का कहना है कि :–

1 वादग्रस्त भूमि थाना सं0–145, खाता सं0–193, प्लॉट नं0–4087 एवं 4088 से संबंधित है।

2 निम्न न्यायालय के द्वारा अपीलार्थी के दस्तावेज पर विचार नहीं किया गया। अपीलार्थी प्रश्नगत भूमि के पश्चिम में चौहद्दीदार रैयत हैं।

3 निम्न न्यायालय द्वारा अंचलाधिकारी के जाँच प्रतिवेदन पर विचार नही किया गया, जिसमें कि प्लॉट सं0 4086 के संदर्भ में प्रतिवेदन है। उल्लेखनीय है कि यह मामला खेसरा सं0–4087 एवं 4088 के संदर्भ मे है। अंचलाधिकारी, धनरुआ का प्रतिवेदन अस्पष्ट और अपूर्ण है।

4 भूमि सुधार उप समाहर्त्ता, मसौढ़ी द्वारा भूमि के स्वरूप पर विचार नहीं किया गया।

अंत में अपीलकर्ता की ओर से उनके विद्वान अधिवक्ता का कहना है कि भूमि सुधार उप समाहर्त्ता, मसौढ़ी द्वारा भू–हदबंदी वाद सं0 16/2010–11 सावित्री देवी बनाम शत्रुधन प्रसाद में दिनांक 25.04.2013 को पारित आदेश को वर्णित खामियों के आलोक में खारिज कर दिया जाय।

विपक्षी की ओर से उनके विद्वान अधिवक्ता का कथन है कि :–

1 भूमि सुधार उप समाहर्त्ता, मसौढ़ी के आदेश के अवलोकन से यह स्पष्ट

है कि उनके द्वारा दिनांक–26.04.2013 को आदेश पारित किया गया और अपीलकर्ता द्वारा नकल हेतु विरकुट दिनांक–04.06.13 को दाखिल कर, नकल दिनांक–06.06.13 को प्राप्त किया गया और अपील दिनांक–13.06.13 को किया गया है। इस प्रकार मामला कालबाधित है।

2. विपक्षी के ससुर चन्द्रिका प्रसाद द्वारा विक्रेता के पिता को 50 वर्ष पूर्व 300 रूपया देकर भूमि पर कब्जा दिया गया था और उसके बाद से विपक्षी के ससुर एवं उनके पुत्र खेती करते आ रहे हैं।

3. वर्ष–2004 में वृजनन्दन प्रसाद ने विपक्षी के ससुर एवं पति को घर पर आकर मौखिक कहा कि मो0–30,000 रूपये यदि उन्हें दिया जाता है तो वे प्रश्नगत भूमि खाता सं0–193, खेसरा सं0–4087 एवं 4088 का 3 धूर 10 कट्ठा रजिस्ट्री कर देंगे। वृजनन्दन प्रसाद को मो0–30,000 रूपये दिये जाने पर भी उनके द्वारा धोखा दिया गया और जमीन रजिस्ट्री नहीं किया गया।

4. विपक्षी द्वारा 15 कट्ठा कृषि भूमि खेसरा सं0–4086 का दो विक्रय विलेख द्वारा वर्ष–2005 में क्रय किया गया और वे खेसरा सं0–4087 एवं 4088 के चौहद्दीदार हो गये। खेसरा सं0–4086 के क्रय के बाद विपक्षी के पति ने तीनों प्लॉटों यथा–4086, 4087 एवं 4088 का आल हटाकर एक प्लॉट बना दिया और उसमें खेती करते आ रहे हैं।

5. परन्तु विक्रेताओं/अपीलकर्ताओं द्वारा गलत मंशा से खेसरा सं0–4087 एवं 4088 की भूमि दूसरे को बेच दिया।

6. प्रश्नगत भूमि कृषि भूमि है। अतः विषयांकित भूमि के बिक्री की सूचना होने पर विपक्षियों द्वारा भूमि सुधार उप समाहर्ता, मसौढ़ी के न्यायालय में भू–हदबंदी वाद सं0–16/2010–11 भू–हदबंदी अधिनियम की धारा–16(3) के अन्तर्गत विधिवत् दायर किया गया।

7. भूमि सुधार उप समाहर्ता, मसौढ़ी ने अंचलाधिकारी, धनरूआ से जाँच प्रतिवेदन की मांग किया गया, जिसमें विषयांकित भूमि को कृषि भूमि बताया गया।

8. भूमि सुधार उप समाहर्ता, मसौढ़ी ने सभी पक्षकारों की विधिवत् सुनवाई कर प्रश्नगत वाद के भूमि को कृषि भूमि मानते हुए एवं विपक्षी सावित्री देवी को चौहद्दीदार मानते हुए अपीलकर्ता शत्रुधन प्रसाद, पुत्र–मथुरा प्रसाद को विपक्षी सावित्री देवी के पक्ष में केवाला निष्पादित करने का आदेश दिया।

उक्त तथ्यों के आधार पर विपक्षी के अधिवक्ता ने दायर अपील को खारिज करने का अनुरोध किया।

अभिलेख के साथ उपलब्ध कागजात, निम्न न्यायालय के आदेश एवं उभय पक्षों के अधिवक्ता के दलीलों को सुनने के पश्चात् यह स्पष्ट होता है कि–

1. प्रश्नगत भूमि के कृषि योग्य होने के संदर्भ में अंचलाधिकारी, धनरूआ का प्रतिवेदन सुस्पष्ट है। प्रश्नगत भूमि आवासीय नहीं है।

2 विपक्षी वादग्रस्त खेसरा सं0–4087 एवं 4088 के चौहद्दीवार है एवं वादग्रस्त भूमि पर पूर्व से ही खेती करते आ रहे हैं।

3 भूमि सुधार उप समाहर्त्ता, मसौढ़ी द्वारा पारित आदेश में विधिवत् सभी तथ्यों को रखते हुए एवं प्रक्रिया का पालन करते हुए आदेश पारित किया गया है और उनके आदेश में किसी प्रकार का त्रुटि परिलक्षित नहीं होता है।

उक्त के आलोक में अपील आवेदन को खारिज करते हुए, निम्न न्यायालय द्वारा पारित आदेश को संपुष्ट करते हुए, वाद की कार्रवाई समाप्त की जाती है।

हस्ताक्षरित एवं संशोधित।

11/3/18

समाहर्त्ता एवं जिला दण्डाधिकारी,
पटना।

11/3/18

समाहर्त्ता एवं जिला दण्डाधिकारी,
पटना।